न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा. नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः—13/2019 निर्णय दिनांकः— 03/03/2022

1/1 मीठालाल पुत्र वल्लभा जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
1/2 चरतलाल पुत्र वल्लभा जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
1/3 श्योराज पुत्र वल्लभा जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
1/4 पुखराज पुत्र वल्लभा जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
1/5 बसन्ती पुत्री वल्लभा जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
2. जगदीश पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. कजोड पुत्र घासी जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
2. हरकेश पुत्र घासी जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
3. मोती पुत्र घासी जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
4. सीताराम पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
5. हनुमान पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
6. गीता पुत्री मूल्या जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
7. गिरिराज दत्तक पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
8. केदार पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
9. भजनी पत्नी रामकेश जाति मीणा निवासी रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक
10. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिरोही तह0 निवाई
11. बैंक ऑफ बडौदा शाखा झिलाय
12. पंजाब नेशनल बैंक जामडोली तह0 निवाई
13. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरस्ती इन्द्राज

उपस्थितः—1. श्री रमेश कुमार शर्मा वकील वादीगण
2. प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई

निर्णय

वाद वादीगण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ख0न0 607 रकबा 3 बिघा 19 बिस्वा वाके ग्राम रामनगर धतुरी तह0 निवाई जिला टोंक मे स्थितहै। जो हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के नाम अंकित खातेदारी मे है। यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों पन्ना पुत्र छोटू व कूरया पुत्र श्योनारायण की छोडी हुई भूमि है जो राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सं0 2031—2034 व सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी में इन्द्राज होने के बावजूद

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

भी राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादी सं0 1 एवं 2 का हिस्सा 1/4 –1/4 होने के साथ उक्त वादीगण सं0 1 व 2कुल 1/2 भूमि के खातेदार है तथा मौके पर काबिज होने के बावजूद वादीगण संख्या 1 व 2 का नाम बिना किसी आदेश के हटा दिया है।

उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ जाने के कारण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व हस्तान्तरित को बैचान करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि में 1/2 का खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है

उपरोक्त भूमि मे से नामान्तरकरण सं0 146 दिनांक 11.12.2010 को प्रतिवादी सं0 7 के पिता द्वारा जानबुझकर प्रतिवादीगण से मिलीभगत करते हुए उक्त भूमि का 1/4 हिस्सा का बैचान प्रतिवादी सं06 के हक में कर दिया है। जो विधि विधान के विपरीत है। उक्त वर्णित भूमि का वादीगण की पुश्तैनी भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी से स्पष्ट होने के बाद भी गलत रूप से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के हक में राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। इस कारण उक्त गलत अंकन का दुरूस्त करवाकर वादीगण अपने पूर्वजो की पुश्तैनी भूमि में हिस्सा 1/2 का हक व हिस्सा होने से खातेदार घोषित किया जाना उचित होगा।

वादी प्रार्थी दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 बाबत उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज डिक्री किया जा कर उक्त खसरा नं0 607 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि के वादीगण हि0 1/2 के खातेदार काबिज काश्तकार है, तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अमल किया जावें तथा प्रतिवादी सं0 7 के पिता द्वारा किये गये बैचान तथा नामान्तरकरण सं0 146 दिनांक 11.12.2010 का आदेश विधि विधान के विपरित होने से विक्रय पत्र को शुन्य घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गई । दिनांक 28.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को आवाज लगाने के बाद भी प्रतिवादीगण असालतन वकालतन गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पी. डबलु –1 वल्लभा पुत्र कंवरिया पी. डबलु –2 जगदीश पुत्र प्रभु पेश किये गये।

वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुये वकील वादी ने बताया कि यह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों पन्ना पुत्र छोटू व कूरया पुत्र श्योनारायण की छोडी हुई भूमि है जो राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सं0 2031–2034 व सम्वत 2033 से 2036 की जमाबन्दी से स्पष्ट है में इन्द्राज होने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वादी सं0 1 एवं 2 का हिस्सा 1/4 –1/4 होने के साथ उक्त वादीगण सं0 1 व 2कुल 1/2 भूमि के खातेदार है तथा मौके पर काबिज होने के बावजूद वादीगण संख्या 1 व 2 का नाम बिना किसी आदेश के हटा दिया है जिसे दुरुस्त किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2070 – 2073 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 607 रकबा 3–19 बीघा प्रतिवादी सं 1 से 9 के नाम अंकित है। संलग्न भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2011 – 2030 के अनुसार

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

आराजी खसरा नम्बर 607 पन्ना पुत्र छोटू व कुवरया पुत्र श्योनारायण जो कि क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व वादीगण के पूर्वज है, के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज है। इस अंकन की पुष्टि जमाबन्दी संवत् 2013, 2018 से 2021, 2026 से 2029 से होती है।

संलग्न जमाबन्दी संवत् 2033 – 2036 की दो जमाबन्दियाँ संलग्न है, जिसमें से फोटो सत्यप्रतिलिपि के अनुसार खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 607 की खातेदारी घासी, मूल्या, बद्री, केदार पिता पन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज है, तथा दुसरी जमाबन्दी जो कि फोटोप्रतिलिपि है, के अनुसार घासी, मूल्या, बद्री, केदार पिता पन्ना हिस्सा 1/2 जो कि काटा हुआ प्रतीत हो रहा है तथा कुवरया पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/2 को गोला किया हुआ है, तथा आगे सही का निशान भी लगाया हुआ है। संलग्न जमाबन्दी संवत् 2036 – 2040 के अनुसार खसरा नम्बर 607 का अंकन घासी, मूल्या, बद्री, केदार पिता पन्ना हिस्सा 1/2 जो कि काटा हुआ प्रतीत हो रहा है, अंकित है, शेष 1/2 के सम्बन्ध में कोई अंकन नही है।

जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 के अनुसार खसरा नम्बर 607 सम्पूर्ण की खातेदारी घासी, मूल्या, बद्री, केदार के नाम दर्ज है। पश्चातवर्ती जमाबन्दीयों संवत् 2046 – 2049, 2050 –2053, 2054 – 2057 में भी इसी प्रकार का अंकन है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नं. 607, संवत् 2011 से पन्ना पुत्र छोटू व कुवरया पुत्र श्योनारायण के नाम दर्ज थी, जो संवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी में कांट छांट की गई है, तथा 2036 –2040 की जमाबन्दी में पन्ना के वारिसान के नाम 1/2 हिस्सा अंकित दिखाया गया है, तथा शेष 1/2 के बारे में कोई अंकन नही है, तथा 2042 –2045 की जमाबन्दी में बिना किसी आधार के पूर्ववर्ती जमाबन्दी के अंकन को नही दोहरा कर सम्पूर्ण खाता पन्ना के वारिसान घासी, मूल्या, बद्री, केदार के नाम दर्ज कर दिया गया तथा श्योनारायण के वारिसान का नाम हटा दिया गया। जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूल से होना प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहना भी उपरोक्त रूप से वादीगण के वाद की पुष्टि करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय वाद वादीगण को स्वीकार करना उचित समझता है, तथा वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 को भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 607 के 1/4 हिस्से तथा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसीके अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें।

पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03/03/2022 को सुनाया गया।

3/3/2022

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निंबाई

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निंबाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः— 13/2019

निर्णय दिनांकः—03.03.2022

उनवान

वल्लभा बनाम कजोड वगै0

दावा उदघोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 को भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा सं0 607 के 1/4 हिस्से तथा वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 03 सन् 2022 को जारी की गई।

3/3/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई